उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ

दूरभाष : 0522–2618850
फैक्स : 0522–2616638

पत्रांक 882 / एच0एम0बी0 / 371/2014 दिनांक 14-5-2020

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक / प्राचार्य,
डी0एच0पी0 कालेज।

विषयः–डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तीन माह के अनिवार्य प्रायोगिक प्रशिक्षण विषयक।

महोदय / महोदया,

डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मेसी (डी0एच0पी0) (प्रवेश सत्र 2017–19) द्वितीय वर्ष का परीक्षा परीणाम घोषित हो चुका है। परीणाम से सम्बन्धित अंकपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये है, अभ्यर्थी अंकपत्र डाउनलोड करके तीन माह अनिवार्य प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु बोर्ड की वेबसाइट **hmbup.in** पर ऑनलाइन शुल्क रू0 250/– के माध्यम से आवेदन कर सकते है, आवेदन हेतु विवरण एवं निम्नवत् है :–

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म भरते समय अभिलेखों (डॉक्यूमेन्टस) की सुस्पष्ट, पठनीय छायाप्रति ही अपलोड करें, अभिलेख सुस्पष्ट / पठनीय न होने पर तीन माह अनिवार्य प्रायोगिक प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुमति पत्र जारी नही किया जायेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किये गये अभिलेखों (डॉक्यूमेन्ट) को बोर्ड कार्यालय में जमा नही करना है। बोर्ड द्वारा अवलोकनोंपरान्त अभ्यर्थी को अनुमति पत्र ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई0डी0 द्वारा डाउनलोड कर सम्बन्धित कालेज में जमाकर प्रशिक्षण आरम्भ कर सकेगा। प्रायोगिक प्रशिक्षण सम्बन्धित कालेज में ही होगा, परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
3. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें छात्र / छात्राओं की सी0डी0 प्रशिक्षण होने के बाद बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र (उपलब्ध कराये गये प्रोफार्मे) के साथ अस्थायी पंजीकरण की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों के साथ आनलाइन आवेदन करके स्थायी पंजीकरण समय से कराये।
5. सभी कालेज अनिवार्य प्रायोगिक प्रशिक्षण में सभी छात्र / छात्राओं को अपने स्तर से प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायें। कोई असुविधा या अन्य प्रकार के कदाचार की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित सस्था / कालेज स्वयं जिम्मेदार होंगे। शिकायत की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार